17/8/22 वकील पार्टी उपस्थित। एडवोकेट उपस्थित सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पार्टी सुदर्शन ने थानाधिकारी कैथल द्वारा जप्त की गई वाहन संख्या HR73-2956 सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की है। थानाधिकारी कैथल ने उक्त वाहन से संबंधित गोवंश अधिनियम की धारा 6A के तहत कोई भी प्रकरण न्यायालय दण्ड के पेश नहीं किया गया है। रिट्ट स्थिति में वाहन का सुपुर्दगी चलन योग्य नहीं रहता है। प्रा० का सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है। थानाधिकारी कैथल द्वारा प्रकरण पेश होने पर पार्टी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके इस संबंध में माननीय कैथल युमना के आदेशानुसार दायर है।

जिला कलक्टर
कैथल (हरि०)